झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1130 वर्ष 2017

हरि शर्मा और अन्य .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य और अन्य .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री समीर सौरभ, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री कु0 राहुल कमलेश, एस0सी0–II के जे0सी0

जे0एस0एस0सी0 के लिएः– डॉ0 अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

5/27.03.2017 याचिकाकर्तागण जिनका संख्या चौदह है, इस न्यायालय में उपांतरण/संशोधित विज्ञापन संख्या 21/2016 में दी गई शैक्षिक योग्यता को चुनौती देने इस आधार पर आए हैं कि इतिहास/नागरिक शास्त्र में स्नातक–प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए दो विषयों में से एक में 45ः अंकों के साथ ''इतिहास और राजनीति विज्ञान'' में स्नातक की डिग्री की आवश्यकता वर्ष 2016 के नियमों के विपरीत है। यह भी तर्क दिया गया है कि स्नातक–प्रशिक्षित शिक्षकों कीक नियुक्ति के लिए रखी गई शैक्षणिक योग्यता मनमानी है और 'विषय' में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए योग्यता और उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं है।

2.. यद्यपि प्रतिवादी–झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विद्वान अधिवक्ता डॉ0 अशोक कुमार सिंह ने निवेदन किया कि जब माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की कुल संख्या स्वीकृत पदों की कुल संख्या, अर्थात् ग्यारह, के साथ देखी जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि विज्ञापन के तहत विषय–संयोजन किसी विद्यालय में विषय अर्थात् ''इतिहास और नागरिक'' में एक शिक्षक उपलब्ध कराना है। यह भी तर्क दिया गया है कि विज्ञापन के तहत प्रदान की गई शैक्षणिक योग्यता न तो मनमानी है और न ही इसे किसी उम्मीदवार द्वारा इस कारण से चुनौती दी जा सकती है कि याचिकाकर्ता को स्नातक–प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता निर्धारित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

3. प्रतिवादी राज्य की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे के आलोक में विज्ञापन पर एक नजर डालने से, प्रथम दृष्टया, यह संकेत मिलेगा कि विभिन्न विषयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता में काफी भ्रम है। उदाहरण के लिए, एक विषय सामाजिक विज्ञान है, जिसे कभी–कभी नागरिक शास्त्र भी कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतक शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर पर न्यूनतक 45ः अंक है। यह माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान/नागरिक शास्त्र में एक से अधिक विषय शामिल होंगे, जिसमें इतिहास भी एक विषय होगा। अब एक बार यह पता चलता है कि इतिहास और नागरिक शास्त्र के लिए केवल एक सहायक शिक्षक हो सकता है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षक के पद के साथ–साथ इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में अलग–अलग योग्यता के साथ नियुक्ति की मांग करने वाला विज्ञापन तर्कसम्मत

प्रतीत नहीं होता है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों और इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की योग्यता विज्ञापन में अलग–अलग पायी जाती है। सामाजिक विज्ञान/इतिहास और नागरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अलग–अलग शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता के लिए एक तर्कसंगत निर्णय की कोई समानता प्रतीत नहीं होती है, हालांकि दोनों के तहत केवल एक ही शिक्षक हो सकता है।

4. यही स्थिति तब भी होगी जब गणित/भौतिकी और जी विज्ञान/रसायन विज्ञान जैसे दो अलग–अलग विषयों में विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति देखी जाएगी।

5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि संशोधित विज्ञापन संख्या 21/2016 के अनुसरण में आगे की कार्यवाही को स्थगित रखा जाएगा, सिवाय इसके कि आवेदन 31 मार्च, 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे, जो अंतिम तिथि है और पहले से अधिसूचित था।

6. पक्षकार अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल कर सकते हैं।

7. प्रतिवादी सं0 4 वह दस्तावेज/विवरणिका प्रस्तुत करेगा जो माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान/नागरिक शास्त्र के तहत पढ़ाए जाने वाले विषयों को इंगित करेगा।

8. इस मामले में तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए 13 अप्रैल, 2017 को इस मामले को 'अंतिम निपटान' शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया गया।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)